

+

01.11.24

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वादी
जब वकील वादी को पूरे न्यायालय में बोल-बोल
ओह-पोह से शिकायतें लगाई गई लेकिन
किन्तु भी वादी असामयिक या कमालतन
न्यायालय में उपस्थित नहीं। अतः यह वादपत्र
अदालत में अदालत के समक्ष ही स्वीकार
पर खारिज किया जाय है पत्रावली
जब से उन दोनो दायित्व दफ्तार हो।

(अधिलक्ष)
उपसहस्र अधिकारी
घडसाना